बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक 16/02/2026

संचिका संख्या–07/मु0–02–84/2025-767/यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–21680/2019 सीता देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 09.12.2024 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2. सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–21680/2019 में दिनांक 09.12.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"...6. The learned counsel for the petitioner rebutting the said submission of the learned counsel appearing on behalf of the Bihar Sanskrit Siksha Board submits that if the petitioner has obtained her appointment, based on forged and fabricated certificate, in that event, the authorities should take a decision, in accordance with law, but they cannot leave the fate of the petitioner hanging in air without deciding the issue that as to whether the petitioner had obtained appointment based on forged, fabricated or a genuine certificate. It is also submitted that if the authorities are so convinced that petitioner had obtained her appointment, based on forged and fabricated certificate, in that event, why till date her services has not been terminated.

7. The argument made by the learned counsel appearing on behalf of the petitioner appears to be correct for the reason that if authorities have withheld the salary of the petitioner since October, 2018 then why they are sitting over the matter and allowing the petitioner to work which amply demonstrates that the authorities in a way are trying to help the petitioner as from the counter affidavit filed on behalf of the State, which is on record, it manifests that in the counter affidavit also it has been averred that there is a difference in the role code in the certificate submitted by the petitioner for seeking appointment.

8. After hearing the learned counsel for the parties, the writ application is disposed of with a direction to the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna to forthwith act in accordance with law and to ensure that final decision in the case of the petitioner is taken preferably within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order.

9. The writ application stands disposed of with aforesaid direction..."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में वाद का निष्पादन हेतु याचिकाकर्त्ता को विभागीय पत्रांक–4401 दिनांक–05.12.2025, 4525 दिनांक–19.12.2025, 103 दिनांक–08.01.2026, 200 दिनांक–16.01.2026, 220 दिनांक–19.01.2026 एवं 490 दिनांक–28.01.2026 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई के क्रम में वस्तुस्थिति रखने का अवसर दिया गया। सुनवाई में याचिकाकर्त्ता उपस्थित हुए एवं उनके तथ्यों को विस्तार पूर्वक सुना गया।

4. याचिकाकर्त्ता का कथन है कि योगदान की तिथि से लेकर अक्टूबर 2018 तक कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान किया जाता रहा। परन्तु निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के ज्ञापांक–533 दिनांक–26.11.2018 के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–544 दिनांक–19.02.2019 द्वारा याचिकाकर्त्ता के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई।

5. अंकनीय है कि याचिकाकर्त्ता की नियुक्ति सचिव, नियोजन इकाई, प्रखंड–सिकटा, पश्चिम चम्पारण के ज्ञापांक–38 दिनांक–15.01.2007 द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय,

सतबरिया में पंचायत शिक्षक के रूप में हुई। तद्नुसार वादी दिनांक–16.01.2007 को पदस्थापित विद्यालय में योगदान देकर अपना कार्यभार ग्रहण किया।

6. जिला शिक्षा पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–89 दिनांक–24.01.2026 में अंकित किया गया है कि श्रीमती सीता देवी जो रा.प्रा0वि0 सतवरिया, ग्राम पंचायत राज सुगहां भवानीपुर, प्रखण्ड–सिकटा में कार्यरत थी, जिनका मध्यमा परीक्षा अंक–पत्र का सत्यापन निगरानी एवं अन्वेषण ब्यूरों पटना द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से कराया गया।

सत्यापनोपरान्त बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा सीता देवी का अंक–पत्र बोर्ड से निर्गत नहीं होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरों पटना को प्राप्त हुआ। उक्त के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरों मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्यालय को कुल 27 शिक्षकों की सूची जिनके प्रमाण–पत्र भिन्न–भिन्न कारणों सें अवैध/फर्जी पाये गये, की सूची उपलब्ध करायी गयी। उक्त के आलोक में संबंधित शिक्षकों का कार्यालय ज्ञापांक–544 दिनांक–18.12.2019 से वेतन स्थगित करते हुए कार्यालय पत्रांक–541 दिनांक–20.02.2020 द्वारा संबंधित पंचायत सचिव को याचिकाकर्ता का मध्यमा परीक्षा का अंक–पत्र फर्जी पाये जाने पर बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त), 2012 के अन्तर्गत कारण पृच्छा करते हुए सेवा निरस्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सेवा निरस्तीकरण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर ज्ञापांक–2495 दिनांक–25.08.2022, पत्रांक–3479 दिनांक–21.11.2022 एवं पत्रांक–1189 दिनांक–18.03.2023 द्वारा स्मारित करते हुए सीता देवी जिनके विरूद्ध फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियोजन कराने के कारण सिकटा थाना काण्ड सं0–60/2022 दिनांक–21.04.2022 दर्ज है, को नियोजन करने हेतु निदेशित किया गया। इस बीच श्रीमती सीता देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष विषयांकित वाद दायर करते हुए वर्ष अक्टूबर 2018 के उपरांत भुगतान का दावा किया गया ।

निरस्तीकरण संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में निदेशक प्राथमिक, शिक्षा विभाग के निदेशानुसार कार्यालीय पत्रांक–76 दिनांक–20.01.2026 द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया से नियोजन निरस्तीकरण संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पंचायत सचिव को निदेशित करने का अनुरोध किया गया। उक्त के प्रतिउत्तर में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–244 दिनांक–22.01.2026 से निवर्त्तमान ग्राम पंचायत राज सुगहां भवानीपुर, प्रखण्ड–सिकटा, पश्चिम चम्पारण में पदस्थापित पंचायत सचिव द्वारा अंकित है कि वह जनवरी 2023 से संबंधित पंचायत में पदस्थापित एवं कार्यरत है। सेवा निरस्तीकरण से कोई अभिलेख इन्हें पूर्व के पंचायत सचिव के द्वारा हस्तगत नही कराया गया है कि सूचना उपलब्ध करायी गयी।

उक्त परिपेक्ष्य में पुनः जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के कार्यालय पत्रांक–374 दिनांक–24.01.2026 द्वारा तत्कालीन पंचायत सचिव के स्वेच्छाचारिता को प्रर्दशित कर रहे कृत के फलस्वरूप चिन्हित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः याचिकाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–89 दिनांक–24.01.2026 द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों याचिकाकर्त्ता के माध्यमा परीक्षा अंक–पत्र का सत्यापन निगरानी एवं अन्वेषण ब्यूरों पटना द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से कराया गया, सत्यापनोपरान्त बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा सीता देवी का अंक–पत्र बोर्ड से निर्गत नहीं होने की सूचना उपलब्ध कराया

गया। उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचारोपरान्त दावा को अस्वीकृत करते हुए वाद निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07 / मु0–02–84 / 2025 767 पटना, दिनांकः– 16/02/26

प्रतिलिपिः– Sita Devi wife of Shivdhari Baitha resident of Village- Jaysinghpur, P.S- Sikta, District- West Champaran को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।